बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–29-5 .2011

संख्या –3/एम०– 89 /2010.....1609...../ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यरत कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता हासिल करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

(4) यह मात्र सचिवालय सहायकों, पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह 'ग' कर्मियों के संबंध में लागू होगी।

2. परिभाषाएँ– इस नियमावली में–

(क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, तथा

(ख) 'डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी' से अभिप्रेत है भारत सरकार (सूचना प्रौधोगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था।

3. कार्यरत कर्मियों हेतु कम्प्यूटर सक्षमता की अर्हता– (क) राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली, जहाँ सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक सेवा/संवर्ग में सम्पुष्टि के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा, और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) जो सरकारी सेवक पहले से सम्पुष्ट हैं और उन्हें अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, को अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा, और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी। वेतन वृद्धि पर ऐसी रोक ऐसी उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने तक रहेगी। प्रमाण–पत्र समर्पित होने पर भूतलक्षी प्रभाव से देय वेतनवृद्धि अनुमान्य हो जायेगी, बशर्ते कि प्रमाण–पत्र निर्गत होने में विलम्ब के लिए सरकारी सेवक दोषी नहीं हो।

(ग) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी उम्र में छूट का कोई प्रावधान यदि किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में की गयी है तो वह प्रभावी रहेगा। 50 वर्ष आयु पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को, कतिपय शर्तों के पूरा करने पर, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से छूट के लिए समय–समय पर निर्गत अनुदेश ऐसे मामलों में भी प्रभावी रहेगा।

4. उपर्युक्त कोर्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. अभिभावी प्रभाव।– राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

6. प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधानों का निरसन।– राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/5/11
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम०– 89 /2010 1609 / पटना, दिनांक 24 मई, 2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/5/11
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम०– 89 /2010 1609 / पटना, दिनांक 24 मई, 2011

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ महाप्रबन्धक, बिपार्ड, वाल्मी कैम्पस, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, i-WDMS, टी.सी.एस. कोषांग, वित्त विभाग/ आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/11
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ. बी. राजेन्दर
भा॰ प्र॰ से॰
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

J.S. (on Chand)
DSIR
3761

पत्रांक-वि0प्र0सु0मि0सो0 बैठक-02/2011 सो 429 दिनांक 23/06/2011

सेवा में,

प्रधान सचिव,,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार के स्तर से लैपटॉप उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:- दिनांक 14.06.11 को आयोजित शासी परिषद की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 2

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में कहना है कि वर्त्तमान युग में तेजी से विकास, सूचनाओं का संकलन, संग्रह एवं संप्रेषण के लिए तकनीकि के इस्तेमाल की आवश्यकता के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मिशन की राशि से सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार के स्तर से लैपटॉप उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शासी परिषद द्वारा निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. पदाधिकारी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2011 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. पदाधिकारी को DOEACC द्वारा आयोजित न्यूनतम BCC का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु कम्प्यूटर अथवा आई.टी. के क्षेत्र में पूर्व से उपाधि धारण करने वाले पदाधिकारियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
3. लैपटॉप के अपग्रेड करने एवं रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारी की होगी। इसका उपयोग पूर्णकालिक तौर पर सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु सेवा अवधि में सेवा मुक्त होने अथवा पदत्याग करने पर इसे मिशन कार्यालय में जमा करना होगा।
4. लैपटॉप का क्रय सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप स्वयं किया जायेगा एवं इसके क्रय के अभिश्रव के प्रस्तूत करने एवं सत्यापन के पश्चात उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. लैपटॉप के क्रय हेतु अधिकतम सीमा ₹60000.00(साठ हजार) होगी, जिसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर का मूल्य शामिल होगा। इससे अतिरिक्त लागत होने पर शेष राशि का वहन संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निदेश देने कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

B Rajender 23.6.2011
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक